uU;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj ,o inu Hkw&vfHkys[k funs'kd
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dksBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 126/2016

vihykUV बनाम **jLiksUMsUV~l**

1. बलवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र थानसिंह
3. हिन्दूसिंह पुत्र अनोपसिंह
4. नीमसिंह पुत्र भूरसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह
   निवासी—ग्राम लंगेरा, ग्राम पंचायत आटी, तहसील बाडमेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर बाडमेर।
2. तहसीलदार, बाडमेर।
3. ग्राम पंचायत आटी, पंचायत समिति बाडमेर।
4. सहायक अभियन्ता, खान व भू विज्ञान विभाग, बाडमेर।
5. स्वरूपसिंह पुत्र जुगतसिंह निवासी—मारूडी
6. कुम्पसिंह पुत्र सांगसिंह निवासी— राडावा
7. धापूदेवी पत्नी मोहनसिंह निवासी—बाडमेर
8. पुष्पाकंवर पत्नी वेनसिंह निवासी—मारूडी
9. मोहनकंवर पत्नी गोपालसिंह निवासी—बाडमेर आगोर।
10. शैतानसिंह पुत्र जुगतसिंह निवासी—मारूडी
11. गोपसिंह पुत्र जुगतसिंह निवासी—मारूडी
12. वेनसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी— मारूडी तहसील व जिला बाडमेर।

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 24.02.2016 जो जिला कलेक्टर,बाडमेर ने विविध प्रकरण संख्या 55/2015 बलवंतसिंह वगैराह बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिती:——

1. श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

4. श्री दिलीप शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 व 6 की ओर से।
5. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना/तामीली के अनुपस्थित है।

fu.k;

fnukd% 27] uoEcj]2019

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में जिला कलेक्टर,बाडमेर ने विविध प्रकरण संख्या 55/2015 बलवंतसिंह वगैराह बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा एक डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 7593/2015 बलवंतसिंह बनाम राज्य वगैराह माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम जूनी आटी के ख0सं0 321 नये ख0सं0 579/321 किस्म चारागाह में चल रहे अवैध एवं विधि विरूद्ध खनन कार्य, क्रेशर, मिस्टर प्लाट आदि को हटाने हेतु निवेदन किया एवं ग्राम लंगेरा में ख0सं0 617/197 गैर मुमकीन गोचर में बने पुराने तालाब के मध्य से क्रेशर मालिकों द्वारा अवैध तरीके से खनिज सामग्री लाने–ले–जाने हेतु अस्थाई मार्ग बनाकर गोचर व तालाब की भूमि को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को रोके जाने का जाने का निवेदन किया।

3. जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से उठाये गये बिन्दूओं के सम्बन्ध में याचिकाकर्ताओं एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई उपरान्त प्रकरण निस्तारण करने के आदेश दिये गये। जिसके अनुसरण में जिला कलेक्टर बाडमेर ने विविध प्रकरण संख्या 55/2015 दर्ज करते हुए प्रकरण में सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 24.02.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। उक्त अपीलाधीन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट यह प्रथम राजस्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.05.2016 को प्रस्तुत की है।

4. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अभिभाषकों के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि

श्रीमान जिला कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय गंभीर विधिक भूल की है और रेकर्ड पर सामग्री को अनदेखा किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर महोदय ने बिन्दू संख्या 02 का आक्षेपित निर्णय बिना अधिकारिता के व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना में किया है क्योंकि बिन्दू संख्या 2 का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंकनानुसार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस बिन्दू कानिर्णय बिना किसी आधार के पूर्व सामग्री के निष्कर्श अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किये है जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रश्नगत गोचर भूमि में से नया रास्ता कतई नियत नहीं किया जा सकता। ऐसे में बिन्दू संख्या 02 का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि बिन्दू संख्या एक का आक्षेपित निर्णय बिना अधिकारिता के पारित किया है कि प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि नहीं होकर पहाड, भाकर, मगरा है और खनन पटटे सही जारी किये हुए है जबकि स्वीकृत तौर पर राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज, जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि दर्ज है और श्रीमान जिला कलेक्टर ने उसे बनावटी, सारहीन व कम्पयूटरीकरण की त्रुटि बताई है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश अधिनस्थ अधिकारी को नहीं दिये कि रेकर्ड को बदला जाये या भूमि की प्रकृति बदली जाये। ऐसे में भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ अधिकारी ने चारागाह भूमि जिसका इन्द्राज रेकर्ड ऑफ राईटस अर्थात जमाबन्दी में वर्षो से चला आ रहा है और सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद से आज तक इस भूमि का उपयोग चारागाह भूमि के रूप में लिया जा रहा है और जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2072 तक के इन्द्राज में ख0सं0 321 नया खसरा संख्या 579/321 की भूमि की प्रकृति चारागाह अंकित है जो गैर मुमकीन पहाड रकबा 583.06 बीघा दर्ज है। वर्ष 2007 से खनिज विभाग ने चारागाह भूमि में बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त किये, भूमि किस्म परिवर्तन किये भूमि में खनन लीज अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी कर दी। उक्त खसरा संख्या 579/321 में 05 बीघा भूमि आबादी के प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट कर परिवर्तित की जा चुकी है और

इस आबादी भूमि के नजदीक करीब 45 से 200 मीटर के अन्दर–अन्दर उक्त खनन एक्टीविटिज जारी है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। परन्तु प्रश्नगत भूमि को चारागाह से अन्य प्रयोजनार्थ निर्णित करना पूर्णतया बिना अधिकरिता का एवं गैर कानूनी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.106 को निरस्त किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व 6 की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि प्रथमतः तो श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा विविध प्रकरण संख्या 55/2015 में पारित निर्णय एक न्यायिक निर्णय नहीं होकर प्रशासनिक निर्णय की श्रेणी में आता है जिसकी अपील न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है। श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वह किन नियमों/अधिनियमों के तहत पारित किया गया है, इसका अंकन भी उनके निर्णय में अंकित नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होती है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व 6 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रसारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 की अनुपालना में अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित की गई है। ऐसे में यदि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से असंतुष्ट होता है तो वह पुनः माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश करते और वांछित अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करते। अतः अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने तथा धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं होने से खारिज की जावे।

9. हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि जिला कलेक्टर बाडमेर ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या

7593/2015 बलवंतसिंह वगैराह बनाम राज0 राज्य वगैराह में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रसारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 की अनुपालना में विविध प्रकरण संख्या 55/2015 दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 24.02.2016 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किसी भी धारा की परिधी क्षेत्र में पारित नहीं किया है जिसके विरूद्ध प्रथम राजस्व अपील न्यायालय हाजा की अधिकारिता क्षेत्र में आती हो। हमने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 का भी अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः——

75. First Appeals – (1) Save when otherwise provided in this Act, a first appeal shall lie – 47

[(a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land records.

(b) to the revenue appellate authority from an original order passed by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer or a Collector in maters not connected with settlement.]

(c) to the Settlement Officer from an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(d) to the Land Records Officer an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(e) to the Settlement Commissioner from an original order passed by a Settlement Officer or by a Collector in matters connected with Settlement.

(f) to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records, and

(g) to the Board from an original order passed by the [Commissioner or Additional Commissioner, the] [revenue appellate authority], the Settlement Commissioner .

10. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के अधिवक्ता भी दौरान सुनवाई न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाये है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है और राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत सुने जाने के लिये अधिकृत है। अपीलांटस को चाहिये कि यदि वे अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार

से असंतुष्ट है तो पुनः सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार हमारा विनम्र मत यह है कि अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

vkns'k

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/kiqj